

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**अधिसूचना**

पटना-15, दिनांक : 13 अप्रैल, 2017

संख्या-1/अ0-10/2008-सा0प्र0-4530/श्रीमती अंशुली आर्या, भा0प्र0से0 (89), प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग {अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा)/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम/सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना} को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-18 (डी)(1) के तहत उनके द्वारा धारित पदों का प्रभार त्यागने की तिथि से दिनांक-14.08.2017 तक शिशु पोषण अवकाश तथा अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक-15.08.2017 से 14.02.2018 तक कुल 184 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती आर्या की आलोच्य छुट्टी की अवधि में

- (i) श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0 (99), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग अपने कार्यों के अतिरिक्त लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रभार में रहेंगे।
- (ii) विभागीय प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा)/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
13/4/17  
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/अ0-10/2008-सा0प्र0- 4530 /पटना-15, दिनांक: 13 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि:- उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित/ महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ श्रीमती अंशुली आर्या, भा0प्र0से0 (89), प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/ श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0 (99), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा-1 एवं 6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
13/4/17  
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।